्यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

ीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
्व वाद संख्या : 110/2019
MS NO. : 2019/00106

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

ासाराम पुत्र मगाराम
्धाराम पुत्र मगाराम जाति जाट
िवासी खराड़ी तहसील जैतारण।

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88राज.काश्त. अधिनियम,1955 136 भू-राजस्व अधिनियम 1955

तारीख रजू:.14/06/2019

स्थित:- 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉक:- 28/02/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बावत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती ्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व ्धिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि ग्राम ाड़ी में खसरा नम्बर 77 रकवा 11 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकवा बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकवा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 387 रकवा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा ्बर 441 रकवा 11 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 444 रकवा 12 बीघा 09 ्वा, कुल रकवा 83 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। सेटलमेंट में पाबु ् परबु पुत्र जवान दर्ज था। उक्त जमीन उनके नाम थी । पाबु उर्फ परबु नाओलाद । पाबु उर्फ परबु की पत्नी पहले मर गई थी बाद में पाबु उर्फ परबु का देहान्त ् के बाद उनके सगे भाई मगाराम पुत्र जवान के नाम नामान्तरकरण की ्यवाही करनी चाही थी। नामान्तरणकरण संख्या 432 का ग्राम खराड़ी में भरा गया । वादी के नाम भरा गया था। मगाराम पुत्र जवानजी के नाम नामान्तकरण भरा ना चाहिए था। वादीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया था। वादीगण ाराम के पुत्र है। पाबु उर्फ परबु का देहान्त सत्र 1971 में हो गया था। पाबु उर्फ बु की पत्नी पहले ही मर गई थी। पाबु उर्फ परबु की औलाद नहीं थी। मगारामजी ई के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था। वादीगण मगारामजी के पुत्र है। ्तिवादी तहसीलदार के पास गया था। राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के लिए तहसीलदार ाटवारी ने कहा कि दावा करो तो [illegible] पाबु उर्फ परबु के फौत ाने से इस जमीन का कब्जा काश्त वादीगण [illegible] था। नामान्तकरण जो भरा ्या वह गलत है। वादीगण का नाम आधार [illegible] राशन कार्ड, वादी संख्या एक ्सरकारी नौकरी में है। नियुक्ति आदेश वादी संख्या एक का मगाराम [illegible] नाम है। ्कर्ड को दुरूस्त करावें। जमीन में किसी का हस्तक्षेप नही है। नामान्तकरण संख्या 432 को निरस्त करावे ताकि वादीगण का पिता मगाराम जी का नाम दर्ज होना ्चाहिए। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने बिना जांच किये इसका नामान्तकरण भर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गया है। वह निरस्त कर वादीगण के पिता मगाराम जी के नाम दर्ज कराना श्यक है। उक्त जमीन को उपजाऊ बनाने तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल ने हेतू कुआं खुदवाने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते है। बैंक मैनेजर ने कहा कि का नाम दुरूस्त कराने पर ऋण दिया जा सकता है। प्रतिवादी तहसीलदार को कार बनाया गया। वादग्रस्त जमीन का दो माह पहले विधिक नोटिस दिया जाना ए लेकिन नोटिस देने से लम्बा समय लगने की पूर्ण संभावना है। अनुमति ना पत्र 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। सीलदार के पास दिनांक 30.05.2019 को गये थे। उन्होने का कि रेकर्ड दुरूस्त हो सकता है। दावा कराने की सलाह दी गई है। दावा श्रीमान के अधिकार क्षेत्र है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस स्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में दुवार जवाबदावा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय फर्द मौका प्रस्तुत करते हुये यह कथन या है कि नामान्तकरण संख्या 432 के जरिए पाबू उर्फ परबू फौत के स्थान पर सिया बुदिया पिता परबू दर्ज किया गया जो वर्तमान में बदस्तूर है। नामान्तरकरण बू उर्फ परबू के स्थान पर पाबू उर्फ परबू के भाई सलाराम के पुत्र मंगाराम के पुत्र राराम जसाराम का नाम दर्ज किया गया। वंशावली निरीक्षक फर्द मौका के अनुसार साराम व बुधाराम के पिता का नाम मंगाराम है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय स्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर र मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

. वादीगण द्वारा वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूध्द तहसीलदार जैतारण स्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खराड़ी में खसरा नम्बर 77 कबा 11 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा म्बर 85 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 386 रकबा 11 बीघा, खसरा म्बर 387 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 441 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 444 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा, कुल रकबा 83 बीघा किस्म बारानी अव्वल सेटलमेंट से पाबू उर्फ परबु पुत्र जवान के नाम दर्ज थी। पाबु उर्फ परबु नाऔलाद फौत होने तथा पाबु उर्फ परबु की पत्नी पहले ही फौत हो जाने से नामान्तरण संख्या 432 वादीगण के नाम भरा गया जबकि वादीगण के पिता मगाराम पुत्र जवानराम के नाम भरा जाना चाहिए था। वादीगण मगाराम के पुत्र है। पाबु उर्फ परबु एवं मगारामजी सगे भाई थे। नामान्तरण संख्या 432 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता मगाराम के नाम दर्ज की जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:05 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पाबू उर्फ परबु लावल्द फौत हुआ था व नामान्तरण संख्या 432 के जरिए पाबू उर्फ परबु फौत के स्थान पर जसिया बुदिया पि0 परबु दर्ज किया गया जो वर्तमान में बदस्तुर है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तरण पाबू उर्फ परबु के स्थान पर पाबू उर्फ परबु के भाई सलाराम के पुत्र राम के पुत्र बुद्धाराम व जसाराम के नाम स्वीकृत किया गया।

भू.अ.नि. निम्बोल द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मौका फर्द के अनुसार राम के दो पुत्र थे पाबु उर्फ परबु तथा सलाराम। पाबु उर्फ परबु लावल्द फौत तथा सलाराम का पुत्र मगाराम है। मगाराम के चार पुत्र क्रमशः वादीगण राम तथा जस्साराम तथा शोभाराम व नारायणसिंह तथा पांच पुत्रिया देवी,पताशी, सुआ देवी, सुखी देवी तथा गणकी है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में वादी जसाराम पुत्र मगाराम का शपथ पत्र पी 1, वादी बुद्धाराम पुत्र मगाराम का शपथ पत्र पी डब्लु 2, प्रस्तुत किया जिसमें गण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यो व कथनो का समर्थन किया। साक्ष्यवादीगण तुत स्वतंत्र गवाह धाराराम पुत्र मंगलाराम निवासी खराड़ी का साक्ष्य शपथ पत्र पी बु 3 जिसमें साक्ष्य द्वारा वादपत्र का अनुसमर्थन किया है। प्रदर्श 1 नामान्तरण मौका ग्राम खराड़ी के अनुसार खातेदार पाबु उर्फ परबु वल्द जवान फौत होने पर मान्तरण संख्या 432 दिनांक 11.10.1971 द्वारा पाबु उर्फ परबु के स्थान पर सिया व बुदिया पुत्र परबु दर्ज किया गया। प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2074-2077 अनुसार वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार जसिया बुदिया पि0 परबु कौम जाट र्ज है। प्रदर्श 3 जसाराम की सेवा प्रविष्ठिया, प्रदर्श 4 ए जसाराम पुत्र मगाराम का रिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 5ए जसाराम का आधार कार्ड, प्रदर्श 6ए व 7ए क्रमशः द्धाराम का परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रतिया है, जिनमें जसाराम और द्धाराम के पिता का नाम मगाराम अंकित है।

. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं उपलब्ध भू अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पाबु उर्फ परबु वल्द जवान कौम जाट निवासी खराड़ी की खातेदारी आराजी थी, खातेदार पाबु उर्फ परबु लावल्द फौत हो गया। वादीगण के अनुसार वादीगण के पिता मगाराम एवं मृतक खातेदार पाबु उर्फ परबु भाई थे परन्तु तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं भु.अ.नि. निम्बोल द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिसकी मौका फर्द पर वादी जसाराम स्वयं के हस्ताक्षर है, के अनुसार पाबु उर्फ परबु तथा सलाराम परस्पर भाई थे। वादीगण के पिता मगाराम, सलाराम की संतान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त तथ्यो का प्रकटीकरण नही किया है तथा वादीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए है।

6. उपर्युक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात [illegible] स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार पाबू उर्फ परबु लावल्द फौत [illegible] था। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 432 जो कि वादीगण को मृतक पाबु उर्फ परबु की संतान मानकर स्वीकृत किया गया जो कि विधि विरूद्ध एवं विधिक रूप से प्रभाव शून्य है। जब मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान/उत्तराधिकारी उपलब्ध नही हो तो ऐसी दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में विहित प्रक्रिया अनुसार संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के पात्र उत्तराधिकारियो की जांच की जाकर उनके नाम नामान्तरण स्वीकृत जाना चाहिए था। वादीगण का यह कथन कि वादीगण के पिता एवं मृतक र पाबू उर्फ परबु परस्पर भाई है, पाबु उर्फ परबु लावल्द फौत हुआ था तथा स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जिसे विलोपित किया जाकर ण के पिता मगाराम को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे, र योग्य नही है क्योकि अव्वल तो वादीगण द्वारा यह गलत कथन किया गया वादीगण के पिता मगाराम एवं मृतक खातेदार पाबू उर्फ परबु परस्पर भाई थे, क पाबु उर्फ परबू मगाराम का चाचा था, दोयम वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नही गया है कि लावल्द मृतक खातेदार पाबू उर्फ परबू पुत्र जवान के प्रथम एवं य श्रेणी के वारिसान् कौन-कौन है? तथा न ही ऐसे वारिसान को बतौर पक्षकार जेत किया गया है। ऐसी दशा में हस्तगत वादपत्र किसी भी दशा में स्वीकार । नही है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत के हस्तगत वादपत्र वादीगण साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है तथा वादपत्र क रूप से स्वीकार योग्य नही होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिक रूप सुसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत रा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित नही होने तथा सारहीन होने से खारिज/ अस्वीकार किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय । भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल फ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
नास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

ाराम पुत्र मगाराम
ाराम पुत्र मगाराम जाति जाट
वासी खराड़ी तहसील जैतारण।

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती
र्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
नियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा० स०: 110/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व री श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार सीलदार जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त चन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम भली भांति बेत नही होने तथा सारहीन होने से खारिज/ अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली ी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... सै सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/02/2022 को जारी िया गया।

ाफिक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला-पाली

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	-Nil-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो ... के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:05 IST
Reason: SelfAttested